व्यापार
आचार एवं नीति
संहिता

(निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारियों हेतु)

सामग्री

क्र.	विवरण	पृष्ठ सं.
-	**बीएचईएल के विजन, मिशन और मूल्य**	3
-	**प्रस्तावना**	4
अध्याय 1		
1.	परिचय	5
2.	परिभाषाएँ तथा व्याख्याएँ	6
3.	संहिता की प्रयोज्यता	6
अध्याय II - संहिता की विषयवस्तु		
4.	भाग I – सामान्य नीतिगत उपबंध	7
5.	भाग II - विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व	9
6.	भाग III - विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान	1 1
अनुबंध सूचि		
7.	व्यवसाय आचरण और आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि तथा पुष्टि (अनुबंध - I)	14
8.	वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट (अनुबंध - II)	15
9.	"रिश्तेदार" का अर्थ (अनुबंध - III)	16
10.	निदेशकों के कर्तव्य (अनुबंध - IV)	17
11.	स्वतंत्र निदेशकों के व्यावसायिक आचरण के दिशानिर्देश (अनुबंध - V)	18
12.	स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य (अनुबंध- VI)	19

विजन
बेहतर कल के लिए समाधान प्रदान करने वाला वैश्विक अभियांत्रिकी उद्यम

मिशन
ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में संधारणीय व्यावसायिक समाधान प्रदान करना

मूल्य
अभिशासन :

हम अपने शेयरधारकों के निवेशों के संरक्षक हैं और इस दायित्व को अत्यंत गंभीरता पूर्वक निभाते हैं। हम उत्तम परिणाम देते हुए अपने से जुड़े लोगों के जीवन को विशिष्ट बनाने हेतु जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं ।

सम्मान :

हम प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय योगदान को महत्व देते हैं। हम मानव प्रतिष्ठा में विश्वास करते हैं एवं पर्यावरण को संरक्षित रखने की आवश्यकता का सम्मान करते हैं।

उत्कृष्टता :

हम अपने प्रत्येक कार्य को उत्कृष्टतापूर्वक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

निष्ठा :

हम अपने ग्राहक, कंपनी और एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हैं।

सत्यनिष्ठा :

हम उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए सत्यनिष्ठ, शालीन एवं निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। हम उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत और संस्थागत निष्ठा के प्रति समर्पित हैं।

प्रतिबद्धता :

हम अपने लिए व्यक्तिगत रूप से एवं टीम के स्तर पर उच्च निष्पादन मानकों को स्थापित करते हैं। हम अपने प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा करते हैं।

नवप्रवर्तन :

हम नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों, उन्नत प्रक्रियाओं तथा बेहतर सेवाओं एवं प्रबंधन प्रणालियों को निरंतर प्रोत्साहित करते हैं।

टीम कार्य :

हम अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम समाधान और सेवाएँ प्रदान करने के लिए सामूहिक रूप से एक टीम भावना के साथ कार्य करते हैं। सभी पणधारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों द्वारा हम अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करते हैं।

निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारियों के लिए व्यापार आचार एवं नीति संहिता

प्रस्तावना

बीएचईएल अपने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारियों के लिए उच्च आदर्श आचरण संहिता स्थापित करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य नैतिक परंपराओं और पारदर्शिता पर आधारित एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन रूपरेखा स्थापित करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। यह आचार संहिता ऐसे मापदंड स्थापित करना चाहती है जो इस प्रकार से अनुपालन किये जाएँ जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके जिसमें कंपनी के विज़न, मिशन और मूल्यों के अनुपालना की भावना निहित हो। संहिता का उद्देश्य कंपनी के सभी प्रकरणों के प्रबंधन में नैतिकता और पारदर्शिता को निरंतर बढ़ाना है।

कंपनी के प्रत्येक निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है कि वे संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के अपने प्रत्येक प्रयास में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करें।

अध्याय 1

1. परिचय

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के अनुबंध के उपनियम 49 प्रावधानों के अनुसार, बीएचईएल में निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारियों के लिए व्यापार आचार एवं नीति संहिता को इसकी 383वीं वार्षिक आम सभा में 7 दिसम्बर 2005 को अपनाया गया था। तदुपरांत कुछ और प्रावधानों को जोड़ कर इसे अधिक सशक्त बनाने और डी पी ई दिशानिर्देशों को इसमें समाहित करने हेतु निदेशक मंडल की 437वीं बैठक 20.09.2011 को एवं इसके पश्चात पूर्ववर्ती सूचीयन अनुबंध के पुनरीक्षित उप नियम 49 के अनुपालन में 14 नबम्बर 2014 को 465 वीं बैठक में इस संहिता का पुनरीक्षण किया गया।

सेबी (सूचीयन दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2018 के अनुपालन में निदेशक मंडल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारियों के लिए पुनरीक्षित व्यापार आचार एवं नीति संहिता को आत्मसात करता है जो 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।

इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के सभी कार्यों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। अपेक्षा यह की जाती है कि संहिता व्यावसायिक कार्यों के संचालन में नैतिक निर्णय लेने के लिये एक आधार के रूप मे काम करती है। व्यावसायिक नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायतों की प्राथमिकता को तय करने के आधार के रूप मे भी यह संहिता काम कर सकती है।

2. परिभाषाएँ और व्याख्याएँ

2.1. "निदेशक मंडल" शब्द से तात्पर्य कंपनी के बोर्ड में निदेशकों से होगा ।

2.2. "संहिता" शब्द से तात्पर्य बीएचईएल के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारियों के लिए व्यापार आचार एवं नीति संहिता से होगा जो समय समय पर यथा संशोधित होते हैं।

2.3. "कंपनी" शब्द से तात्पर्य होगा 'भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड'।

2.4. "सूचीयन विनियम" शब्द से तात्पर्य होगा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 जिसमें किसी भी प्कार के परिवर्धन, स्पष्टीकरण, परिपत्र या उसका पुन: प्रवर्तन शामिल है;

2.5. "प्रबंध निदेशक", "मुख्य कार्यपालक अधिकारी", "मुख्य वित्तीय अधिकारी" और "कंपनी सचिव" शब्दों से तात्पर्य कंपनी के ऐसे अधिकारी से होगा, जिन्हें इस प्रकार नामित किया गया है।

2.6. "अंशकालिक निदेशकों" शब्द से तात्पर्य कंपनी के ऐसे निदेशकों से है जो कि कंपनी में पूर्ण कालिक सेवा में नहीं है। इसमें स्वतंत्र निदेशक और अंश कालिक अधिकारिक निदेशक शामिल होंगे।

2.7. "संबंधी" शब्द से तात्पर्य वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) सहपठित कंपनी (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) नियम, 2014 में परिभाषित किया गया है जिसे अनुबंध- ।।। में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

2.8. "वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक" शब्द से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल को छोड़कर ऐसे कर्मियों से होगा जो कंपनी के प्रमुख प्रबंधन दल के सदस्य हैं, इनमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक /पूर्णकालिक निदेशक (मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित, यदि वह निदेशक मंडल का सदस्य नहीं है) से एक स्तर नीचे के अधिकारी और विशेष रूप से कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे।

2.9. "पूर्णकालिक निदेशकों" या "कार्यकारी निदेशकों" शब्द से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशकों से होगा जो कंपनी में पूर्ण कालिक रोजगार में हैं।

इस संहिता के ऐसे शब्द जो पुल्लिंग अर्थ प्रकट करते हैं वे स्त्रीलिंग को भी शामिल करेंगे और एकवचन का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द बहुवचन भी शामिल करेंगे।

3. संहिता की प्रयोज्यता

3.1. यह कोड निम्नलिखित कर्मिकों पर लागू होगा:

A. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक

B. सभी अंशकालिक निदेशक, और

C. वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों

3.2. यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों वर्तमान मे लागू या लागू होने जा रहे अन्य नियमों, नीतिओं और प्रक्रियाओं का भी पालन करना जारी रखेगे ।यह संहिता कंपनी के सीडीए नियमों के अतिरिक्त एवं उनके ऊपर होंगे।

3.3. सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों (पदभार ग्रहण करते समय) संहिता को प्राप्त करने, ठीक से पढने और इस्के प्रावधानों को समझने एवं उनका अनुपालन करने की धोषणा को अनुबंध- I में संलग्न पावती फॉर्म पर हस्ताक्षर कर कंपनी सचिव और कॉर्पोरेट (मानव संसाधन) को जमा करेंगे क्रमशः यह संकेत देते हैं कि उन्होंने संहिता के प्रावधानों को प्राप्त, पढ़ा और समझा है। और उसी के अनुपालन के लिए सहमत हैं ।

3.4 सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों को वार्षिक आधार पर भी इस संहिता के अनुपालन की स्वीकृति प्रस्तुत करना होगा। वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समप्ती के 30 दिनों के भीतर अनुबंध- II में संलग्न प्रपत्र में वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

द्वितीय अध्याय

4. संहिता की विषय वस्तु

भाग I – सामान्य नैतिक आदेश
भाग II - विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व
भाग III - विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

भाग I

सामान्य नैतिक आदेश

5. समाज और मानव जाति के कल्याण में योगदान करना

5.1. यह सिद्धांत सभी व्यक्तियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, मनुष्यों के मौलिक अधिकारों की रक्षा दायित्व की पुष्टि और सभी संस्कृतियों कि विविधताओं के सम्मान से संबंधित है। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए कि हमारे प्रयासों के उत्पादों का उपयोग सामाजिक उत्तरदायी तरीके से किया जाए, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करें और दूसरों के स्वास्थ्य और कल्याण पर हानिकारक प्रभावों से बचाए। एक सुरक्षित सामाजिक पर्यावरण के साथ ही मानव जाति के कल्याण में सुरक्षित प्राकृतिक पर्यावरण शामिल है।

5.2. कंपनी के उत्पादों डिजाइन, विकास, विनिर्माण और प्रचार के लिए उत्तरदायी सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों को मानव जाति और पर्यावरण की सुरक्षा व बचाव की नैतिक एवं वैधानिक जिम्मेदारी के बारे मे स्वयं जाग्रत रहना चाहिये और अन्य कर्मचारियों को भी जाग्रत करना चाहिये ।

6. सत्यनिष्ठ एवं विश्वासपात्र बनें तथा निष्ठा का आचरण करें

6.1. सत्यनिष्ठा और निष्ठा विश्वास के आवश्यक घटक हैं। विश्वास के बिना एक संगठन प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता है।

6.2. सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कंपनी के व्यवसाय का संचालन करते समय व्यक्तिगत और व्यावसायिक निष्ठा, सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करें ।

7. न्याय संगत रहें और पक्षपात पूर्ण कार्रवाई न करें

समानता, सहिष्णुता, दूसरों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों और समान न्याय के सिद्धांत इस आदेश से अभिशाशित होते हैं।विधि के अंतर्गत्म विशेष रूप से प्रदत्त प्रावधानों के अतिरिक्त नस्ल, लिंग, धर्म, आयु, विकलांगता, राष्ट्रीयता या अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव इस संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

8. गोपनीयता का ध्यान रखें

8.1. ईमानदारी का सिद्धांत सूचना की गोपनीयता के मुद्दों तक फैला हुआ है। नैतिकता का संबंध सभी हितधारकों के लिए गोपनीयता के सभी दायित्वों का सम्मान करने से है जब तक कि इस संहिता के किसी सिद्धांत के द्वारा या विधि आवश्यकताओं के अनुसार इस तरह के दायित्वों से छूट न मिले ।

8.2. इसलिए, सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक, कंपनी के व्यवसाय और प्रकरणों के बारे में सभी गोपनीय अप्रकाशित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे ।

9. प्रतिज्ञा और आचरण

9.1. गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और पारदर्शिता लाने का निरंतर प्रयास करना।

9.2. जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए भरसक काम करना ।

9.3. कंपनी के विकास और प्रतिष्ठा के लिये काम करें और सदैव सजग रहें ।

9.4. संगठन पर गर्व करना और कंपनी के हितधारकों को मूल्य आधारित सेवाएं प्रदान करना।

9.5. अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा पूर्वक और बिना किसी भय या पक्षपात के साथ निर्वहन करें ।

भाग द्वितीय

विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व

10. अपना प्रत्येक दिन कंपनी के विज़न, मिशन और मूल्यों के साथ जियें

सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक अपना प्रत्येक दिन कंपनी के विज़न, मिशन और मूल्यों के साथ जिएं।

11. व्यापारिक कार्यों की प्रक्रियाओं और उत्पादों दोनों में उच्चतम गुणवत्ता,

प्रभावशीलता और गरिमा प्राप्त करने के लिए प्रयास करें

उत्कृष्टता किसी भी व्यवसायी के लिय सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इसलिए, सभी को अपने व्यापारिक कार्यों की प्रक्रियाओं और उत्पादों दोनों में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता और गरिमा प्राप्त करने के लिए प्रयास करें।

12. व्यापारिक योग्यता अर्जित करें और उसे बनाए रखें

उत्कृष्टता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो व्यापारिक योग्यता अर्जित करते है और उसे बनाए रखतें है।इसलिए सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपयुक्त स्तर की सक्षमता के लिए मानक स्थापित करने में भाग लें, और उन मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करें ।

13. कानूनों का अनुपालन

कंपनी के सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक स्थानीय, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करें। उन्हें कंपनी के व्यापार से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का पालन करना/ मानना भी चाहिये।

14. उचित व्यावसायिक समीक्षा उपलब्ध कराना और उसे स्वीकार करना

एक अच्छ व्यावसायिक कार्य उस कार्य की समीक्षा और समालोचना पर निर्भर करता है। जब भी उपयुक्त हो, प्रत्येक सदस्य को अपने सहकर्मी के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिये और उनके कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करना चाहिए। उन्हें कंपनी के निर्णय निर्धारण या अन्य कोई भी प्राप्त जानकारी भी समुचित रूप से एवं सही समय पर निदेशक मंडल को सूचित करना होगा।

15. कामकाजी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों और संसाधनों का समायोजन करना

संगठनात्मक प्रमुख अपने साथी कर्मचारियों को उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन देने के लिये एक अनुकूल वातावरण का निर्माण सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होते हैं। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक, सभी कर्मचारियों को सभी प्रकार की आवश्यक सहायता और सहयोग उपलब्ध करा कर उनकी मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगें जो उन्हें प्रोत्साहित करेगा और उनके व्यावसायिक विकास को समर्थित करेगा जिससे उनके कार्य निष्पादन कि गुणवत्ता बढ़ेगी।

16. ईमानदार बनें और किसी भी तरह के प्रलोभनों से बचें

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक कंपनी से जुड़े लेन-देनों मे स्वयं या अपने परिवार और अन्य संबंधियों के माध्यम से व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन या किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक की मांग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। इसमें उपहार या अधिक मूल्य के अन्य लाभ शामिल हैं, जिन्हें संगठन के लिए व्यापार को प्रभावित करने या किसी एजेंसी आदि को अनुबंध देने के समय दिया जा सकता है।

17. कॉर्पोरेट अनुशासन का पालन करें

कंपनी में संचार प्रवाह जटिल नहीं है और कर्मचारी सभी स्तरों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि कंपनी में किसी भी निर्णय को लेनी की प्रक्रिया में सुझावों के मुक्त विनिमय की प्रथा है, परंतु संवाद समाप्त होने के उपरांत सर्व सहमति से एक नीति स्थापित होने के पश्चात व्यक्तिगत रूप से किसी निश्चित बिंदु पर असहमति के बाद भी, सभी से इसे स्वीकार करने और इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कुछ मामले, नीतियां कार्रवाई के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में करती है, बाकी अन्य प्रकरणों में वे कार्रवाई में निबंधकारी शक्ति के रूप मे स्थापित हैं। सभी को इस अंतर की पहचान करना और इनके पालन करने की सार्थकता सीखनी चाहिए।

18. इस प्रकार का आचरण करें जो कंपनी की प्रतिष्ठा को दर्शाता है

सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे ड्यूटी पर और ड्यूटी के बाद, अर्थात दोनों ही स्थितियों में इस प्रकार का आचरण करें जो कंपनी की प्रतिष्ठा को दर्शाता हो। उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार मिल-जुल कर कंपनी के स्वरूप को बनाते हैं इसे जिसे संगठन के अंदर और जनता द्वारा बड़े पैमाने पर माना जाता है।

19. कंपनी के हितधारकों के प्रति उत्तरदायी बनें

वे सभी लोग जिनकी हम सेवा करते हैं, चाहे वे हमारे ग्राहक हों, जिनके बिना कंपनी व्यवसाय नहीं कर सकती है, शेयरधारक हों, जिनका कंपनी के व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान है, कर्मचारी हों, जिनसे मिलकर यह सब संभव हुआ है, आपूर्तिकर्ता हों, कंपनी को समय पर कार्य निष्पादन में सहयोग करते हैं या चाहे वह समाज हो, जिसके प्रति कंपनी अपने सभी कार्यों में उत्तरदायी है, बीएचईएल के हितधारक हैं। इसलिए, सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे कंपनी के हितधारकों के प्रति उत्तरदायी हैं ।

20. अनधिकृत व्यापार की रोकथाम

अप्रकाशित मूल्य जैसी संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कंपनी ने अनधिकृत व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता को अपनाया है। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक उक्त संहिता का पालन करेंगे। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर उपलब्ध है।

21. व्यावसायिक जोखिमों को पहचानें, उन्हें कम करें तथा उनका प्रबंध करें

यह सभी की जिम्मेदारी होगी कि वे कंपनी के परिचालन कार्यों या क्षेत्र के आसपास के व्यावसायिक जोखिमों की पहचान करने और ऐसे जोखिमों के प्रबंधन की कंपनी स्तरीय विस्तृत प्रक्रिया में सहायता करने के लिए कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली का पालन करें, ताकि कंपनी अपने व्यापक व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

22. कंपनी के मूल तत्वों की रक्षा करना

सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक कंपनी की भौतिक संपत्ति, सूचना और बौद्धिक अधिकारों सहित संपत्ति की रक्षा करेंगे और व्यक्तिगत लाभ के लिए इनका उपयोग नहीं करेंगे।

भाग III

विशिष्ट सहायक प्रावधान

23. वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के रूप में

23.1 वे आचरण के स्थापित मानदंडों के अनुरूप अपना कार्य निष्पादन करने के लिये उत्तरदायी होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार का अपव्यय न हो।

23.2 कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक बोर्ड को सभी सामग्री, वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण करना होगा जहां उनका व्यक्तिगत हित है और कंपनी के हितों के साथ इनका संभावित संघर्ष हो सकता है (उदाहरण के लिये कंपनी के शेयरों का क्रय-विक्रय, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक व्यवहार करना जिनमें प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदारों आदि की हिस्सेदारी है)।

24. निदेशक मंडल के सदस्यों के रूप में

24.1 वे उनके अन्य बोर्ड पदों में किसी भी परिवर्तन, अन्य व्यवसायों/कंपनी से संबंध और अन्य घटनाओं / परिस्थितियों / शर्तों जो बोर्ड / बोर्ड कमेटी के कर्तव्यों को निभाने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकते हैं अथवा बोर्ड के इस निर्णय को प्रभावित करता हो कि क्या वे स्वतंत्र रूप से सूचीयन विनियम आवश्यकताओं को पूरा करते है, के बारे में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / कंपनी सचिव को सूचित करेंगे।

24.2 वे इस बात का ध्यान रखेंगे की बोर्ड के निष्पक्ष सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना, वे उत्पन्न हितों के टकराव को टालेंगे। हितों का टकराव तब होता है व्यक्तिगत हितों की कंपनी के व्यापक हितों के साथ टकराव की संभावना हो। उदाहरण के रूप में निम्न मामले हो सकते हैं:

(i) संबंधित पार्टी लेनदेन: कंपनी या इसकी सहायक कंपनियों के साथ किसी भी लेन-देन में होना या इनसे संबंधित जिसमें उनका वित्तीय या अन्य व्यक्तिगत हित हो

(या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे किसी रिश्तेदार या अन्य संगठन के साथ जिसके साथ वे जुड़े हुए हैं)।

(ii) अन्य कंपनी में निदेशक होना: किसी अन्य कंपनी के बोर्ड में निदेशक पद स्वीकार करना जो कंपनी के व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा रखती है।

(iii) परामर्शदाता संस्था/ व्यापार/ रोजगार: ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होना (चाहे वह परामर्श सेवायें देना हो, व्यापार करना, रोजगार स्वीकार करने की प्रकृति हो) जो कंपनी के प्रति आपके कर्तव्यों / जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप करें या संघर्ष की संभावना हो। उन्हें किसी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या कंपनी के ग्राहक के साथ किसी भी प्रकार से संबद्ध नहीं होना चाहिए।

(iv) अधिकारिक पद का व्यक्तिगत लाभ के लिये उपयोग: व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग नहीं करना चाहिए।

24.3 वे निदेशक मंडल/ समितियों, जिसके वे सदस्य हैं, की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

24.4 वे, निदेशक मंडल के समक्ष आये किसी भी विषय जिसमें उनके व्यक्तिगत हित उत्पन्न हो सकते हों और चर्चा से विमुख होकर, वोटिंग द्वारा या अन्य किसी प्रकार से किसी निर्णय या अन्य विषय को प्रभावित करता हो जिसमें संबंधित निदेशक का स्वार्थ हो या हो सकता हो, के बारे मे निदेशक मंडल को सूचित करेंगे।

24.5 वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 एवं इस संहिता के अनुबंध- IV में दिये गये प्रासंगिक सार बिंदुओं के अनुसार कार्य करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

24.6 स्वतंत्र निदेशक भी व्यावसायिक आचरण दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (स्वतंत्र निदेशक संहिता) और इस संहिता के अनुबंध-V एवं VI क्रमशः में इसके प्रासंगिक सार बिंदुओं के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

24.7 वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीयन विनियमों के अंतर्गत आवश्यक अनिवार्य प्रकटीकरणों की घोषणा करेंगे ।

25. व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता का अनुपालन

25.1 निदेशक मंडल / कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्य इस संहिता के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे और उन्हें प्रोत्साहन देंगे ।

संगठन का भविष्य तकनीकी और नैतिक उत्कृष्टता दोनों पर निर्भर करता है। निदेशक मंडल / कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों को न केवल इस संहिता में व्यक्त सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रत्येक सदस्य अन्य कर्मचारियों को भी इसकी अनुपालन हेतु सहयोग और प्रोत्साहन करना चाहिए।

25.2 संगठन के साथ असंगत संबंध होने पर इस संहिता का उल्लंघन माना जायेगा:

यदि निदेशक मंडल या वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य इस संहिता का पालन नहीं करते हैं तो , इस प्रकरण की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा की जायेगी और उसका निर्णय अंतिम होगा । कंपनी के पास अधिकार सुरक्षित होगा की दोषी के विरुद्ध जो भी कर्यवाही आवश्यक समझे, वह कार्यवाही करे।

26. संहिता का निरंतर अद्यतन

विधि में किसी प्रकार के परिवर्तन, कंपनी के दर्शन (फिलोसफ़ी), विजन, मिशन, मूल्यों, व्यावसायिक योजनाओं में परिवर्तन या अन्य कोई परिवर्तन होने पर निदेशक मंडल द्वारा आवश्यक समझे जाने के अनुरूप इस संहिता की निरंतर समीक्षा और अद्यतन किया जाएगा तथा ऐसे सभी संशोधन / परिवर्धन दर्शायी गई दिनांक से प्रभावी होंगे।

यह संहिता वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। यद्यपि, बाद में उनमें कोई परिवर्तन होता है, और संहिता या इसका कोई भाग संवैधानिक प्रावधानों से असंगत हो जाता है तब संवैधानिक प्रावधान ही मान्य होंगे।

27. **संहिता की बीएचईएल वेबसाइट पर उपलब्धता**

सूचीयन विनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, इस संहिता और इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन को सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों में प्रसारित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रेषित किया जाएगा।

28. **स्पष्टीकरण कहां से प्राप्त करें**

निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर कोई भी सदस्य निदेशक (मा.सं.) / कंपनी सचिव से इस संबंध मे जानकारी प्राप्त कर सकता है।

<> <>

टिप्पण: *यह विदित है कि इस व्यापार आचरण और नीति संहिता के कुछ शब्दों और वाक्यांशों की व्याख्या अलग-अलग हो सकती है। किसी भी प्रकार के विवाद कि स्थिति में, निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।*

निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए व्यापार आचार एवं नीति संहिता की स्वीकारोक्ति

(निदेशक / वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक बनने पर प्रस्तुत किया जाना है)

मैंने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए व्यापार आचार एवं नीति को प्राप्त कर लिया है एवं पढ़ लिया है। मैं कंपनी की व्यापार आचार एवं नीति में दिये गये मानकों और नीतियों को समझता हूँ तथा मानता हूँ कि मेरे कर्तव्यों के लिये अतिरिक्त नीतियाँ और विधियां हो सकती है। तदनंतर, कंपनी की व्यापार आचार एवं नीति संहिता के पालन करने पर अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

यदि मुझे कंपनी के व्यावसायिक आचरण और नीति संहिता, कंपनी की किन्हीं नीतियों, या मेरे कर्तव्यों पर लागू वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं के अर्थ या प्रयोज्यता से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो मुझे पता है कि मैं निदेशक (मानव संसाधन) या कंपनी सचिव से परामर्श कर सकता हूं, यह जानते हुए की मेरे प्रश्न या रिपोर्ट को गुप्त रखा जाएगा।

प्रतिज्ञापन

मैं ________________________________(नाम), __________________ (पदनाम), निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए व्यापार आचार एवं नीति संहिता ('संहिता ') प्राप्त कर लिया और एतद द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैंने इस संहिता के प्रावधानों को पढ़ लिया एवं समझ लिया है तथा इस संहिता का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर : ....

नाम: ....

पदनाम : ....

कर्मचारी संख्या: ....

दिनांक:............

स्थान:..................

अनुबंध- II

निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए व्यापार आचार एवं नीति संहिता

वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट

(प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाना है)

मैं ________________________________ (नाम), __________________ (पदनाम), एतद द्वारा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मार्च_________________ को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान मैंने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए व्यापार आचार एवं नीति संहिता के प्रावधानों का पूर्णत: पालन किया है।

हस्ताक्षर : ....

नाम: ....

पदनाम : ....

कर्मचारी संख्या : ....

दिनांक:..................

स्थान:..................

निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए व्यापार आचार एवं नीति संहिता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) के उद्धरण

"रिश्तेदार" का अर्थ

6. किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, रिश्तेदार का अर्थ है, जो कोई भी जो किसी अन्य से संबंधित है, यदि -

a. वे एक अविभाजित हिंदु परिवार के सदस्य हैं; या
b. वे पति-पत्नी हैं; या
c. एक व्यक्ति दूसरे से उस प्रकार से संबंधित हो जैसा कि कंपनी (परिभाषा विशिष्टता का विवरण) नियम, 2014 के नियम 4 में परिभाषित किया गया है

नियम 4

रिश्तेदारों की सूची

(1) पिता:
"पिता" में शब्द सौतेला पिता शामिल है।

(2) माता:
"माँ" शब्द में सौतेली माँ शामिल है।

(3) पुत्र:
"पुत्र" शब्द में सौतेला पुत्र शामिल है।

(4) बेटे की पत्नी।

(5) बेटी।

(6) बेटी का पति।

(7) भाई:
"भाई" शब्द में सौतेला भाई शामिल है।;

(8) बहन:
"बहन" शब्द में सौतेली बहन शामिल है।

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 के उद्धरण)

निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए व्यापार आचार एवं नीति संहिता

निदेशकों के कर्तव्य

(1) कंपनी अनुच्छेद के अनुरूप कार्रवाई करना ।

(2) कंपनी के सभी सदस्यों के हितार्थ और कंपनी, इसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय के सर्वोत्तम हितों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कंपनी के उद्देशों के संवर्धन हेतु सद्भावना पूर्ण कार्य करना। ।

(3) आवश्यक और युक्तियुक्त ध्यान, कौशल और दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना और स्वतंत्र निर्णय लेना।

(4) ऐसी परिस्थिति में संलिप्त न होना जिसमें उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित, कम्पनी के हितों से टकराता हो या टकराव की संभावना हो।

(5) स्वयं या अपने रिश्तेदार, भागीदार अथवा सहयोगियों के माध्यम से किसी भी अनुचित अर्जन या लाभ को प्राप्त करने का प्रयास न करें।

(6) अपने कार्यालय को निर्दिष्ट नहीं करना है और यदि ऐसा किया जाता है तो यह वैध नहीं होगा।

अनुबंध- V

(कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के उद्धरण)

निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए व्यापार आचार एवं नीति संहिता

स्वतंत्र निदेशकों के व्यावसायिक आचरण के दिशा-निर्देश

एक स्वतंत्र निदेशक:

(1) अखंडता और सत्यनिष्ठा के नैतिक मानकों को बनाए रखें।

(2) अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्पक्ष एवं रचनात्मक रूप से कार्य करें।

(3) कंपनी के हित में अपने उत्तरदायित्वों का सद्भावना पूर्ण निर्वहन करें ।

(4) उचित और संतुलित निर्णय लेने के लिए अपने व्यावसायिक दायित्वों के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दें ।

(5) निदेशक मंडल के निर्णय लेने की प्रक्रिया में निदेशक मंडल के सामूहिक निर्णय पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करते समय ऐसे किसी भी बाहरी विचार पर ध्यान न दें, जो पूरी कंपनी के सर्वोपरि हित में आपके स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार को दुष्प्रभावित करे।

(6) कंपनी या उसके शेयरधारकों के अहित या स्वयं के लिये अथवा अपने सहयोगी व्यक्ति के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से अपने पद का दुरुपयोग न करें।

(7) ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचें जिससे उसकी निष्पक्षता पर आघात हो।

(8) जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो एक स्वतंत्र निदेशक की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाती है, तदनुसार स्वतंत्र निदेशक को तुरंत निदेशक मंडल को सूचित करना चाहिए।

(9) सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन पद्धतियों को लागू करने में कंपनी की सहायता करना।

निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए व्यापार आचार एवं नीति संहिता

स्वतंत्र निदेशक के कर्तव्य

स्वतंत्र निदेशक –

(1) उपयुक्त रूप से कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, उनके कौशल, ज्ञान और कंपनी के साथ उनके सुपरिचय को नियमित रूप से अद्यतन व ताज़ा करते रहेंगे।

(2) उचित स्पष्टीकरण या जानकारी के प्रवर्धन की तलाश करेंगे तथा जहाँ आवश्यक हो, कंपनी के व्यय पर बाह्य विशेषज्ञों की उचित व्यावसायिक परामर्श और राय लेंगे और उनका पालन करेंगे।

(3) निदेशक मंडल की और बोर्ड समितियों, जिसमें वह सदस्य हैं की सभी बैठकों में भाग लेने के लिए प्रयास करेंगे ।

(4) जिन बोर्ड की समितियों के वे अध्यक्ष या सदस्य हैं उनकी बैठकों में वे रचनात्मक और सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

(5) कंपनी की सामान्य बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे।

(6) कंपनी या किसी प्रस्तावित कार्रवाई के संचालन को लेकर यदि चिंतित हैं, यह सुनिश्चित करें की निदेशक मंडल द्वारा इसका समाधान किया जाये या इसका समाधान होने तक प्रयास किया जाये और अपनी इस चिंता के विषय को निदेशक मंडल की बैठकों की कार्रवाई के कार्यवृत्त मे समाहित करने पर बल दें ।

(7) कंपनी और कंपनी के कार्यक्षेत्र के बाहरी वातावरण के बारे में स्वयं को भली-भांति, अच्छी तरह से अवगत रखें ।

(8) निदेशक मंडल की किसी उचित समिति के कामकाज को गलत तरीके से बाधित नहीं करेंगे।

(9) इस बात का पर्याप्त ध्यान रखें और सुनिश्चित करें की संबंधित पार्टी लेनदेन की स्वीकृति के पूर्व पर्याप्त विचार-विमर्श किया जाए और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि यह कंपनी के हित में है।

(10) यह जांच करना और सुनिश्चित करना की कंपनी के पास पर्याप्त और कार्यात्मक सतर्कता तंत्र है और यह सुनिश्चित करना की इस तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति के हित इसके उपयोग के कारण पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होते हैं।

(11) अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में अंदेशों की रिपोर्ट करें।

(12) अपने अधिकार सीमा में कार्य करते हुए, कंपनी, शेयरधारकों और अपने कर्मचारियों के विधिसम्मत हितों की रक्षा में सहायता करें।

(13) गोपनीय जानकारियां जैसे वाणिज्यिक गुप्त तथ्य, प्रौद्योगिकियां, विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजना, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी आदि का प्रकटीकरण न करें जब तक की ऐसी कोई घोषणा करना निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित न किया गया हो या विधि द्वारा आवश्यक हो।